सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : तेवडी, कैम्प दिनांक 18.06.2018

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 84/2017 **दायर तारीख :–** 05.10.2017

1. रविकान्त
2. दानवीर

} पुत्रान पुरणमल शर्मा, जाति ब्राहम्ण निवासी तेवडी तहसील विराटनगर, जिला जयपुर **—— वादीगण**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रतिवादी

उपस्थित : श्री चिरंजीलाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण
पैरोकार सरकार

दावा बाबत : दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक : 18.06.2018

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम तेवडी के खसरा नम्बर 1287/0.13, 1318/0.13, 1322/0.30 हैक्टेयर के हिस्सा 1/14 की खातेदारी वादीगण के पिता पूरणमल के नाम दर्ज रिकार्ड रही है तथा वर्तमान में वादीगण व माता ललिता देवी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वादीगण मृतक पूरण मल के विधिक वारिसान है। वादीगण का नाम क्रमशः रविकान्त, दानवीर है, परन्तु जमाबन्दी में सहवन से रविकान्त के स्थान पर अशोक एवं दानवीर के स्थान पर अरूण अंकित हो गया, जबकि वादीण का उक्त नाम कभी नहीं रहे है। जिला शिक्षा बोर्ड जयपुर द्वारा जारी कक्षा 8 की अंकतालिका, ड्राईविंग लाइसेन्स, आधार कार्ड में वादी संख्या 1 के नाम रविकान्त अंकित है एवं जमाबन्दी में अशोक सहवन से अंकित किया गया है, जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10 के प्रमाण पत्र व अंकतालिका, आधार कार्ड में वादी संख्या 2 का नाम दानवीर दर्ज है। वादीगण के पिता पूरण मल के कुर्सीनामा/वारिस प्रमाण एवं परिवार राशन कार्ड में भी वादीगण का नाम रविकान्त व दानवीर दर्ज है। मृतक पूरण मल के विधिक वारिसान वादीगण एवं उनकी माता ललिता देवी है, अशोक एवं अरूण नाम के कोई भी वारिसान नहीं है। अतः निवेदन है कि ग्राम तेवडी के खाता संख्या 248 के खसरा नम्बर 1287/0.13, 1318/0.13,

1322/0.30 हैक्टेयर में खातेदार अशोक के स्थान पर रविकान्त एवं अरूण के स्थान पर दानवीर पिता पूरण मल शर्मा दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2071–2074, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र पूरण मल, परिवार राशन कार्ड ललिता देवी, आधार कार्ड रविकान्त शर्मा, मतदाता पहचान पत्र रविकान्त, अंक तालिका कक्षा 8 रविकान्त, आधार कार्ड दानवीर, अंक तालिका कक्षा 10 दानवीर आदि पेश किये।
4. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मैड में पेश हुआ उपस्थित वादीगण एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम तेवडी के खसरा नम्बर 1287/0.13, 1318/0.13, 1322/0.30 हैक्टेयर के हिस्सा 1/14 की खातेदारी वादीगण के पिता पूरणमल के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। अधिवक्ता वादी का तर्क रहा कि वादीगण का नाम क्रमशः रविकान्त, दानवीर है, परन्तु जमाबन्दी में सहवन से रविकान्त के स्थान पर अशोक एवं दानवीर के स्थान पर अरूण अंकित हो गया, जबकि वादीण का उक्त नाम कभी नहीं रहे है। इसके संबंध में यह कि मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2071–2074 खाता संख्या 128 में दर्ज खसरा नम्बर 1287, 1318, 1322 की खातेदारी मोहन, मदन पिता कन्हैयालाल, राजू, कोयली, तोफली पुत्री कन्हैयालाल, रामकूरी देवी पत्नि कन्हैयालाल हिस्सा 6/14, ललिता देवी पत्नि पूरणमल, अशोक, अरूण पिता पूरणमल हिस्सा 1/14, धूणीलाल पुत्र रूपनारायण हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगण ने अपने अभिवचन में स्वयं यह माना है कि वादीगण का नाम वादीगण के पिता के फौत होने पर फौतगी नामान्तकरण खोलते समय सहवन से दर्ज हुआ है, जिसके संबंध में वादी ने कोई राजस्व दस्तावेज पेश नहीं किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर खातेदारी में दर्ज नाम को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, इस संबंध में वादी को चाहिए की वह फौतगी नामान्तरण की सक्षम न्यायालय में अपील करें।

<u>आदेश</u>

वादी का वादपत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को मजमे आम सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : तेवडी **दिनांक 18.06.2018**

बइजलास :– मुकेश कुमार मूंड **आर.ए.एस.**

1. रविकान्त } पुत्रान पुरणमल शर्मा, जाति ब्राहम्ण निवासी तेवडी
2. दानवीर } तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रतिवादी

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 84/2017 **दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री चिरंजीलाल एडवोकेट** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **पैरोकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि कि ग्राम तेवडी के खाता संख्या 248 के खसरा नम्बर 1287/0.13, 1318/0.13, 1322/0.30 हैक्टेयर में खातेदार अशोक के स्थान पर रविकान्त एवं अरूण के स्थान पर दानवीर पिता पूरण मल शर्मा दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमावें। **सुना गया।** वादी ने अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं किया है। **अतः हुक्म दिया जाता है कि** वादी का वादपत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को मजमे आम सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Web Copy - Not

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 21.06.2018** को जारी की गई।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस की दर्ज करना चाहिए।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर